टैलीफैक्स–0135–2522941
इ–मल –bridcul.@gmail.com
CIN No -U45203UR2008SGC032591

BRIDCUL (ब्रिडकुल)

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड
प्रधान कार्यालयः अवस्थापना भवन. 583–ढ. राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपर के सामने. माजरा. सहारनपर रोड. देहरादन– 248001

पत्रांकः 1081 /ब्रिडकुल/290(XIII)/2019 दिनाँकः 02/07/2019

नोटिस

इस निगम, (ब्रिडकुल) में पूर्व पद्धति के अनुरूप 10 करोड़ से अधिक लागत हेतु विभिन्न कैटेगरी व श्रेणीयों के अनुरूप पंजीकरण की व्यवस्था थी, जोकि वर्तमान मे पूर्णतः समाप्त की जा चुकी है तथा वर्तमान मे प्रचलित पंजीकरण हेतु मात्र 10 करोड़ तक –सिविल कार्यो हेतु व 5 करोड़ तक–विद्युतीकरण कार्यो हेतु पंजीकरण की व्यवस्था विभिन्न कैटेगरी के अनुरूप किये जाने की व्यवस्था है।

निगम मुख्यालय द्वारा कार्यालय पत्रांक 1978/ब्रिडकुल/290(XI)/2018 दिनांक 27.11.2018 को निगम की वेबसाईट पर समस्त ठेकेदारो/फर्मो के सूचनार्थ/उक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपलोड़ कर नवीन पद्वति के अनुरूप पंजीकरण को परिवर्तित किये जाने अन्यथा पंजीकरण स्वतः ही निरस्त होने का उल्लेख किया गया था।

उपरोक्त के क्रम मे विभिन्न फर्मो/ठेकेदारों जिनका पंजीकरण 10 करोड़ की लागत से अधिक किसी भी श्रेणी व कैटेगरी मे पंजीकृत था व उनके द्वारा नवीन पद्वति के अनुरूप 10 करोड़ तक के अन्तर्गत किसी भी कैटेगरी मे पंजीकरण को परिवर्तित किये जाने हेतु आतिथि तक प्रस्ताव/अनुरोध पत्र निगम को प्रेषित नही किया गये है उनका पंजीकरण आतिथि के उपरान्त निरस्त माना जायेगा व उक्त सभी फर्म/ठेकेदार द्वारा उक्त पंजीकरण के सापेक्ष भविष्य मे किसी भी निविदा मे प्रतिभागिता हेतु योग्य नही होंगे।

उक्त के अन्तर्गत आ रहे सम्बन्धित फर्मो द्वारा पूर्व मे पंजीकरण के समय जमा सुरक्षा धनराशि शीध्र ही उन्हे लौटा दी जायेगी। सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म निगम मे नवीन पद्धति के अनुरूप पुनः पंजीकरण करना चाहते है तो विधिवत् नवीन रूप से आवेदन कर सकते है।

नोट– उपरोक्तानुसार कैटेगिरी व श्रेणी (10 करोड़ की लागत से अधिक) मे पंजीकृत वे समस्त ठेकेदार/फर्म जिनके द्वारा उक्त पंजीकरण के सापेक्ष उनके द्वारा इस निगम में कोई भी निर्माण कार्य वर्तमान में गतिमान है अथवा DLP के अन्तर्गत है, का पंजीकरण सम्बन्धित परियोजना के DLP की समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त निरस्त माना जायेगा परन्तु सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त पंजीकरण के सापेक्ष किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने हेतु उनका पंजीकरण वैद्य नही माना जायेगा व गतिमान परियोजना के सापेक्ष DLP की समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा सम्बन्धित इकाई कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंजीकरण के सापेक्ष जमा सुरक्षा धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पृथक से अनुरोध किया जायेगां।

(राजेन्द्र प्रसाद उनियाल)
महाप्रबन्धक (सिविल)

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), ब्रिडकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (मानव संसाधन), ब्रिडकुल, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (परियोजना), ब्रिडकुल, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिडकुल, इकाई कार्यालय हल्द्वानी /पिथौरागढ़/देहरादून/मुख्यालय।
6. प्रबन्धक (सू0प्रौ0) को उक्त सूचना सम्बन्धित ठेकेदारों के सूचनार्थ संयुक्त रूप से जारी किये जाने हेतु निगम की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित।
7. टेण्डर कॉडिनेटर, ब्रिडकुल देहरादून।
8. मास्टर फाईल।

महाप्रबन्धक (सिविल)